

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.24(3)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 19.1.2021

::आज्ञा::

राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के नियम 32 व 35 के अन्तर्गत निम्नलिखित अस्थाई विधि रचनाकार को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से विधि रचनाकार के पद पर एतद्वारा स्थाई किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	स्थाईकरण दिनांक
1.	निकुंज दीक्षित	04.05.2020
2.	ऋषिका शेखर	07.05.2020
3.	संयोगिता	06.05.2020
4.	अनिल कुमार डामोर	02.05.2020

आज्ञा से,


(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव